

प्र0का० / 03 / बी०आर० / मासंप्र / पें०प्र० / 2022-23 / 23 &

दिनांक: 19 नवम्बर 2022

परिपत्र समस्त शाखाओं / कार्यालयों हेतु पेंशन प्रकोष्ठ, मानव संसाधन प्रबंध विभाग द्वारा निर्गत

प्रिय महोदय,

विषयः बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन का भुगतान – कतिपय बिन्दुओं का स्पष्टीकरण – पेंशनर्स के साथ व्यवहार

विषयांतर्गत अवगत कराना है कि वर्तमान में हमारे बैंक से सेवानिवृत्त पेंशनधारकों / मृतक आश्रित पेंशनधारकों की संख्या पांच हजार से अधिक है। प्रधान कार्यालय को सीधे तथा नाबार्ड / भारत सरकार व सेवानिवृत्त / कार्मिक संगठनों से लगातार इस बात की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि शाखाओं / कार्यालयों द्वारा पेंशनर्स के कार्यों / समस्याओं के निस्तारण में पर्याप्त रुचि नहीं ली जाती है। पेंशनर्स को अपने काम के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार कोई भी कार्मिक सही जानकारी नहीं देता है कि उसकी समस्याओं का समाधान कहां से होगा। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत अग्रांकित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं—

- 1. बैंक के सभी कार्मिक नोट करें कि बैंक से सेवानिवृत्त कार्मिक न केवल देश के विरष्ट नागरिक होने के कारण सम्मान के पात्र हैं अपितु अपने बैंक के मूल्यवान ग्राहक हैं साथ ही बैंक की प्रगित में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस नाते से और भी अधिक सम्मान के पात्र हैं। बैंक की शाखाओं / कार्यालयों में उनके साथ शालीन और सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उनके मामलों का त्विरत निस्तारण करें। किसी भी स्तर पर उन्हें यह अनुभव न हो कि एक लम्बे कार्यकाल को पूर्ण करने के उपरांत उनके अपने बैंक में उनके साथ अपरिचित सा व्यवहार किया जा रहा है। किसी कार्मिक द्वारा किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और ऐसा अनुचित व्यवहार करने वाले कार्मिक के विरुद्ध बैंक द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- 2. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय एक अधिकारी को पेंशन डेस्क अधिकारी नामित करें जो क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए कार्य करेगा। ऐसे अधिकारी की मेज पर /केबिन पर "पेंशन डेस्क अधिकारी" की पिट्टका प्रदर्शित हो, जिससे पेंशनर उसके समक्ष अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकें। यही अधिकारी मेडीक्लेम के संबंध में भी पेंशनर्स की सहायता करेगा। शाखाएं भी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु "पेंशन डेस्क अधिकारी" की सहायता ले सकती हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नामित पेंशन डेस्क अधिकारियों की सूची व फोन नंबर इसके साथ संलग्न हैं।
- अपने बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को संबंधित नियमों का पालन करते हुए तत्परता के आधार पर ए०टी०एम०, मोबाइल बैंकिंग आदि जारी की जानी चाहिए।
- 4. सभी शाखाएं सेवानिवृत्त कार्मिकों को सावधि जमाओं के सापेक्ष स्वीकृत ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों में किसी संबंधित सावधि जमा के नवीनीकरण आदि के कारण कम हुई/बढ़ी हुई ब्याज दर के अनुरुप ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों की ब्याज दर में परिवर्तन यथासमय कर दिया जाना सुनिश्चित करें।
- 5. सभी शाखाएं सुनिश्चित करें कि पेंशनर्स के खातों में ब्याज आदि के संशोधन तत्परता से "आर मीनू" द्वारा करके उसी दिन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वेरीफाई करा लिए जायें।
- 6. अपने बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके जमा खातों में नियमानुसार अनुमन्य कार्मिक ब्याज दर दी जानी चाहिए। ऐसे खातों में प्रभार आदि की कटौती न होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इसके लिए कार्मिक के संबंधित सभी खाते एक कस्टमर आई.डी. पर कर लिए जायें और सभी में सेवानिवृत्त कार्मिक प्रथम खाता धारक के रुप में हो।
- 7. शाखा को किसी सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार की राशि के अंतरण हेतु स्थाई अनुदेश दिये जाते हैं तो नियमानुसार उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 8. शाखाएं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का परिचय पत्र जारी करने हेतु फार्म भी उनके पेंशन आवेदन के साथ क्षेत्रीय कार्यालय भेज दें और क्षेत्रीय कार्यालय सुनिश्चित करें कि कार्मिक का परिचय पत्र सेवानिवृत्ति से एक माह के भीतर अनिवार्य रुप से जारी हो जाये।
- 9. किसी पेंशनर द्वारा किसी शाखा में प्रारुप-6 पर जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो शाखा पेंशनर के फार्म पर सत्यापन करके उसी दिन ई मेल द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को और क्षेत्रीय कार्यालय उसे प्रधान कार्यालय के पेंशन प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करें।

प्रधान कार्यालय : बुद्व विहार व्यवसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर—273016, टेलीफोन : 0551—2230210 Head Office : Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur-273016 Telephone : 0551-2230210 e-mail : ho@barodauprrb.co.in



Va



- 10. **सभी शाखाएं सुनिश्चित करें कि से**वानिवृत्त कार्मिकों की सभी प्रकार की जमाएं नियमानुसार परिपक्वता तिथि पर नवीनीकृत हो जायें अथवा संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक के बचत खातें में अंतरित हो जायें।
- 11. सभी शाखाएं एवं कार्यालय सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत्ति के समय संबंधित कार्मिक की विदाई सम्मानजनक ढंग से हो। क्षेत्रीय कार्यालय इस हेतु सेवानिवृत्ति की दिनांक अथवा अगले दिवस को पृथक से अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का विदाई समारोह समूहिक रूप से आयोजित कर सकते हैं।
- 12. किसी भी पेंशनर की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी (पत्नी पेंशनर होने पर पित) को कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए नया खाता खोलने की कोई बाध्यता नहीं है। पेंशनर के साथ खुले संयुक्त खाते का प्रयोग कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांकः DGBA.GBD.No.S2/31.02.007/2022-23 दिनांकः 01.04.2022 में भी इसी आशय के निर्देश दिये गये हैं. जिसका पाठ अग्रांकित है—

"Continuation of either or survivor pension account after death of pensioner

12. All agency banks disbursing Central Government pension have been advised that in case the spouse (Family pensioner) opts for existing joint account for credit of family pension, banks should not insist on opening a new account when the spouse is the survivor and having a joint account with the pensioner and in whose favour an authorisation for payment of family pension exists in the Pension Payment Order (PPO).*

शाखाएं स्टाफ पेंशनर की मृत्यु होने पर खाते में परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में बैंक आफ बड़ौदा के परिपत्रांकः HO:BR:113:156 दिनांकः 03.07.2021 (प्रति संलग्न) से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं, अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के आई टी अधिकारी की सहायता ले सकती हैं।

यहां यह बिन्दु स्पष्ट करना है कि पेंशन प्राप्त करने हेतु पत्नी/पित (Spouse) के साथ संयुक्त खाते के परिचालन अनुदेशों के संबंध बैंक द्वारा कोई प्रतिबंधात्मक निर्देश नहीं जारी किये गये हैं, पूर्ववर्ती बैंकों द्वारा जारी निर्देश (यदि कोई हों) बैंकों के समामेलन के उपरांत प्रभावी नहीं हैं। खाते के परिचालन अनुदेश खातेदार के स्विविवेक पर निर्भर हैं। बेहतर होगा कि पेंशनर के जीवनकाल में ही इस आशय का एक लिखित सहमित पत्र प्राप्त कर लें कि किसी एक सहखातेदार की मृत्यु की दशा में खाते की अवशेष राशि पर उत्तरजीवी का पूर्ण अधिकार होगा और उत्तरजीवी खाते का संचालन एकल रूप से कर सकेगा।

कृपया नोट करें कि किसी भी पेंशनर का खाता पत्नी/पति (Spouse) के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ नहीं खोला जाना है। फेमली पेंशन का खाता अनिवार्य रुप से एकल ही खोला जायेगा। यदि किसी फेमिली पेंशनर का खाता किसी के साथ संयुक्त है तो सह खातेदारों से सहमति प्राप्त कर उस खाते को एकल कर दें।

बैंक के सभी कार्मिक नोट करें कि किसी भी पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके खाते की राशि का मृतक के उत्तराधिकारियों को मृगतान करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि पेंशनर की मृत्यु की तिथि के बाद प्राप्त पेंशन में से मृत्यु की तिथि के बाद की पेंशन पेंशन न्यास के खाते में वापस कर दी गई है। किसी भी अधिक भुगतान की गई राशि के भुगतान हेतु शाखा के संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होंगे। आवश्यक जानकारी हेतु वे "पेंशन डेस्क अधिकारी" की सहायता ले सकते हैं।

कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु को शाखा / कार्यालय के सभी कार्मिकों के संज्ञान में लायें और प्रमाण स्वरुप इस पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करें।

भवदीय

(कृष्ण कुमार कश्यप)

महाप्रबंधक

संलग्नः – पेंशन डेस्क अधिकारियों की सूची

– बैंक आफ बड़ौदा का परिपत्रांक: HO:BR:113:156 दिनांक: 03.07.2021

प्रधान कार्यालय : बुद्ध विहार व्यवसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर—273016, टेलीफोन : 0551—2230210 Head Office : Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur-273016 Telephone : 0551-2230210 e-mail : ho@barodauprrb.co.in

S.N.	RO	PENSION DESK OFFICER NAME	MOBILE NAME
	ALLAHABAD	NEHA GUPTA	958122406
	AMETHI	GARIMA SINGH	745986729
3	AZAMGARH	VISHAL GUPTA	799159613
4	BAREILY	SWETA KUMARI	731010271
5	BASTI	SHASHI PRABHA	739302990
6	BHADOHI	SANTOSH KUMAR SINGH	84376570
7	BL1	SHIV SHANKAR PANDEY	99195298
8	BL2	SMT KANTI SINGH	953298493
9	CHANDAULI	VIMAL KUMAR	79053405
10	DEORIA	PRASIDDHA MISHRA	80053966
11	ETAWAH	KESHAV SINGH KAURAV	99934819
12	FAIZABAD	AMIT KUMAR	91401946
13	FATEHPUR	ASHWANI SHUKLA	93052017
14	GAZIPUR	POONAM KUMARI	91026070
15	GKP1	SURESH CHANDRA SRIVASTAVA	94153786
16	GKP2	LALCHAND DAS	95555185
17	JAUNPUR	ARSHAD HUSAIN	74084042
18	KANPUR	P K SINGH CHAUHAN	98389883
19	KANPUR DEHAT	NILIMA SRIVASTAVA	99181373
20	KAUSHAMBI	NAVNEET KUMAR RAI	98073650
21	MAHARAJGANJ	MANOJ KUMAR SINGH	87651811
22	MAU	KOMAL SHARMA	965420262
23	PADRAUNA	NAVEEN KUMAR MADDESHIYA	731010318
24	PRATAPGARH	POOJA	748881911
25	RAE BARELI	ARADHANA TANDON	760754093
26	SANT KABIR NAGAR	VIVEK SINGH	980723429
27	SHAJAHANPUR	BHUPAL SINGH RAWAT	783988498
28	SIDDART NAGAR	UPENDRA KUMAR	805751510
29	SULTANPUR	AJAY KUMAR DWIVEDI	829919280
30	VARANASI	RAKESH KUMAR	943005682





Date: 03.07.2021

Operations & Services Department Head Office, Baroda

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Dear Sir / Madam,

Re: Continuation of Staff Pension account by Family Pensioner in case of death of first holder .(Staff Pensioner) w. e. f. 06.07.2021.

Bank allows to open joint account for staff pension with their spouse. At the time of pensioner's death first name is not allowed to be deleted by the system. spouse would be eligible for family pension, pension account will be continued by family pensioner but as the name of widow/spouse of the staff family pensioner is as second holder the staff rate is not provided by the system and hence they are forced to close this account and open a new account which causes inconvenience to family pensioner of the staff.

In order to continue the same account of staff pensioner in case of his/her death and to provide staff rate to family pensioner, branches are advised as under:

- To accept application from family pensioner of staff along with Death certificate and Copy of PPO.
- Name of Family Pensioner should be verified from PPO.
- 3. Primary holder i.e. Staff Pensioner should be marked deceased.
- 4. Joint holder who is family pensioner, his/her customer id should be made primary customer id using menu HCCA. But before replacing the primary customer ID " Joint Customer Id should be made as Staff by selecting the Staff Flag as Y and also giving the EC No of deceased employee using MRCR"

. 1	In HACM menu, the Relation Code under Related Party tab – FPS (Family Pensioner of Staff) option should be selected through menu HACM and Name of deceased staff pensioner should be entered in the system in the field "Notes" that first holder –Name of the staffEC Nodeceased on(Date)
-----	--

If name is long, it may be written in short.

Please note this process is only for staff pensioner.

Please ensure compliance.

Yours faithfully.

Pankaj Mittal General Manager

(Operations & Services)

bina 2021\circulars\restriction on opening accounts at branch.docx



प्रधान कार्यालय - परिचालन एवं सेवाएँ विभाग, " बड़ौदा भवन ", 7वां तल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. भारत. Head Office - Operations & Services Dept., "Baroda Bhavan", 7° Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. INDIA. फो./T : 0265-2316769, ई-मेल/E : operations.ho@bankofbaroda.com